संख्या- 63 /2026/001-513-24-1-2026-49-2026

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम अन्तर्गत DA-JGUA संबंधी कार्य हेतु प्राप्त केन्द्रीय अनुदान के सापेक्ष समायोजन द्वारा अंशपूँजी की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-950/अधि0नि0(वित्त)/निधि-2/आय-व्ययक 2026-27/471, दिनांक 09 जुलाई, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष-4801-05-190-10-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 32,78,00,000/- (रूपये बत्तीस करोड़ अठहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 27,87,00,000/- (रूपये सत्ताईस करोड़ सत्तासी लाख मात्र) में से वर्तमान में प्राप्त हुई एवं स्वीकृत हेतु अवशेष केन्द्रीय अनुदान की कुल धनराशि रूपये 67,00,000/- (रूपये सड़सठ लाख मात्र) को लेखाशीर्ष 0801-06-800-01 में समायोजन के माध्यम से जमा किये जाने को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण पुस्तक समायोजन के द्वारा किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में अवमुक्त की जा रही रूपये 67,00,000/- (रूपये सड़सठ लाख मात्र) की धनराशि का नगद आहरण न कर पुस्तक समायोजन के माध्यम से प्राप्ति पक्ष के लेखाशीर्ष- "0801-बिजली-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-800-अन्य प्राप्तियां-01-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्तियाँ" में जमा किया जायेगा।"

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 की शर्तो/ दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 67,00,000 (रुपये सड़सठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051901000 रिवैम्प्ड (आर.डी.एस.एस.) योजना के DA-JGUA के कार्य मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-35-X-2026-27-दिनांक:21-7-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-63/2026/001-513(1)-24-1-2026-49-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001

3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली।

6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।